



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03012026-269093
CG-DL-E-03012026-269093

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 23]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 2, 2026/पौष 12, 1947

No. 23]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 2, 2026/PAUSHA 12, 1947

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2026

का.आ. 23(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 5193 (अ) तारीख 29 नवंबर 2024, जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 2 दिसंबर 2024, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में (गुजरात) राज्य में मेहसाना से बठिंडा (पंजाब) तक (अनअफ़ेअल सेक्शन), प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए जीएसपीएल इंडिया गैसनेट लिमिटेड (जीआइजीएल) द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 05-12-2024 तक उपलब्ध करा दी गई थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर जीएसपीएल इंडिया गैसनेट लिमिटेड (जीआइजीएल) में निहित होगा। पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम 1962 की धारा 10 के अध्याधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए जीएसपीएल इंडिया गैसनेट लिमिटेड (जीआइजीएल) पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

क्रम सं.	गाँव का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
तहसील: नथाणा			जिला: बठिंडा		
			राज्य: पंजाब		
1	लहिरा बेगा (अ.च. बी.नं. 200)	86//14/1	00	03	06
		86//14/2	00	07	97
		86//7	00	11	03
		86//4/1	00	02	14
		86//4/2	00	08	89
		75//24	00	01	00
		75//17/2	00	08	00
2	भुँचो कलां (अ.च. बी.नं. 201)	65//19	00	03	21
		64//22/2	00	09	64
		65//20	00	09	00
		66//16	00	01	31
3	सेमा (अ.च. बी.नं. 199)	136//5	00	01	07
		136//3	00	07	83
		136//4/1	00	05	81
		136//2	00	00	40
4	गोबिंदपुरा (अ.च. बी.नं. 176)	191//25	00	01	96
		191//24	00	02	01

[फा. सं. एल-14014/153/2022-जीपी-II]

रामजीलाल मीना, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January, 2026

S.O. 23(E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 5193 (E) dated the 29th November 2024, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated the 2nd December 2024, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline in the State of Punjab Mehsana - Bathinda Natural Gas Pipeline Net Work (NFL Section) for transportation of Natural Gas by GSPL INDIA GASNET LIMITED, (GIGL);

And whereas copies of the said Extra Ordinary Gazette notification were made available to the public up to 05.12.2024;

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in GSPL INDIA GASNET LIMITED (GIGL), free from all encumbrances.

GSPL INDIA GASNET LIMITED (GIGL) shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

Sr. No.	Name of Village	Khasra No.	Area		
			Hect	Are	Sq. Mt.
1	2	3	4	5	6
TEHSIL: NATHANA			DISTRICT: BATHINDA		
			STATE: PUNJAB		
1	LEHRA BEGA (H.B.No.200)	86//14/1	00	03	06
		86//14/2	00	07	97
		86//7	00	11	03
		86//4/1	00	02	14
		86//4/2	00	08	89
		75//24	00	01	00
		75//17/2	00	08	00
2	BHUCHO KALAN H.B.No.201	65//19	00	03	21
		64//22/2	00	09	64
		65//20	00	09	00
		66//16	00	01	31
3	SEMA (H.B.No.199)	136//5	00	01	07
		136//3	00	07	83
		136//4/1	00	05	81
		136//2	00	00	40
4	GOBINDPURA (H.B.No.176)	191//25	00	01	96
		191//24	00	02	01

[F. No. L-14014/153/2022-GP-II]

RAMJI LAL MEENA, Under Secy.